भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5328

बुधवार, दिनांक 25 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>राज्यों को सौर ऊर्जा के लिए सहायता</u>

5328. श्रीमती मंजू शर्माः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार सौर ऊर्जा के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है; और

(ख) यदि हां, तो राजस्थान को प्रदान की गई सहायता का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) सरकार, राजस्थान सहित पूरे देश में, सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहन/सहायता प्रदान करती है। वर्तमान में कार्यशील योजनाओं का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख) राजस्थान को प्रदान किए गए प्रोत्साहन/सहायता का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

दिनांक 25.03.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5328 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

राजस्थान सहित देश में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने वाली कार्यशील योजनाओं का विवरण

<table>
<tr><th>योजना/कार्यक्रम</th><th>योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन/सहायता</th></tr>
<tr><td>क) पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना, रूफटाप सौर ऊर्जा स्थापित करने और एक करोड़ घरों के लिए हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने की योजना।</td><td>1. PMSG: MBY के अंतर्गत, आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सौर की स्थापना के लिए सीएफए नीचे दिया गया है:
<table>
<tr><th>क्र.सं</th><th>आवासीय खंड का प्रकार</th><th>सीएफए</th><th>सीएफए (विशेष श्रेणी के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)</th></tr>
<tr><td>(i)</td><td>आवासीय क्षेत्र (रूफटॉप सौर (आरटीएस) क्षमता का प्रथम 2 किलोवाट पीक या उसका भाग)</td><td>₹30,000/kWp</td><td>₹33,000/kWp</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>आवासीय क्षेत्र (1 किलोवाट पीक की अतिरिक्त आरटीएस क्षमता के साथ या उसके भाग सहित)</td><td>₹18,000/kWp</td><td>₹19,800/kWp</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>आवासीय क्षेत्र (3 किलोवाट पीक से अधिक अतिरिक्त आरटीएस क्षमता)</td><td>No additional CFA</td><td>No additional CFA</td></tr>
<tr><td>(iv)</td><td>समूह आवासीय सोसायटी/आवासीय कल्याण समिति (जीएचएस/ आरडब्ल्यूए) आदि के लिए 500 किलोवाट पीक तक इलेक्ट्रिक व्हिकल चार्जिंग सहित साझा सुविधाओं के लिए (3 किलोवाट पीक प्रति घर की दर से)।</td><td>₹18,000/kWp</td><td>₹19,800/kWp</td></tr>
</table>
2. PMSG: MBY योजना में डिस्कॉमों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान शामिल है, ताकि उन्हें अनुकूल नियामक और प्रशासनिक तंत्र बनाने, और</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>योजना/कार्यक्रम</th><th>योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन/सहायता</th></tr>
<tr><td></td><td>कार्यान्वयन के लक्ष्यों को प्राप्त करने जैसी गतिविधियों में प्रेरित किया जा सके और उनकी मदद की जा सके। यह प्रोत्साहन, स्थापित आधार क्षमता के 10% से अधिक और 15% से कम क्षमता प्राप्त करने पर लागू बेंचमार्क लागत का 5% निर्धारित किया गया है; और स्थापित आधार क्षमता के 15% से अधिक क्षमता प्राप्त करने पर लागू बेंचमार्क लागत का 10% निर्धारित किया गया है।

3. आवासीय रूफटॉप सौर प्रणाली (RTS) के विस्तार को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर लोगों को जुटाने के प्रयासों के लिए, PMSG: MBY योजना में शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) और पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को भी प्रोत्साहन देने का प्रावधान शामिल है। यह प्रोत्साहन ULB/PRI के अधिकार क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र में RTS की प्रत्येक स्थापना के लिए ₹1000 की दर से दिया जाएगा, बशर्ते उस स्थापना के लिए उपभोक्ता को CFA (केंद्रीय वित्तीय सहायता) हस्तांतरित कर दी गई हो।

4. इसके अलावा, PMSG: MBY योजना के तहत देश के प्रत्येक जिले में एक 'मॉडल सोलर गाँव' विकसित करने के लिए ₹800 करोड़ का कोष निर्धारित किया गया है, जिसमें प्रत्येक मॉडल सोलर गाँव के लिए ₹1 करोड़ की सहायता प्रदान की जाएगी।</td></tr>
<tr><td>ख) सौर पार्क योजना</td><td>पार्कों के विकास के लिए 20.00 लाख रु. प्रति MW या परियोजना की लागत का 30%–इनमें से जो भी कम हो–की राशि दी जाती है। इसके अलावा, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए प्रति सोलर पार्क ₹ 25 लाख तक का CFA भी दिया जाता है।</td></tr>
<tr><td>ग) किसानों की भूमी पर स्टैंडअलोन सौर पंपों की स्थापना, मौजूदा ग्रीड कनेक्टेड कृषि पंपों का सौरीकरण एवं सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना को सक्षम करने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2019 में पीएम कुसुम योजना की शुरूआत की गई थी।</td><td>घटक 'क': किसानों द्वारा अपनी ज़मीन पर 10,000 MW के विकेंद्रीकृत ग्राउंड/स्टिल्ट माउंटेड ग्रिड-कनेक्टेड सोलर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा-आधारित विद्युत संयत्र स्थापित करना।

घटक 'ख': 14 लाख स्टैंडअलोन ऑफ-ग्रिड सोलर कृषि पंपों की स्थापना।

घटक 'ग': 35 लाख मौजूदा ग्रिड-कनेक्टेड कृषि पंपों का सौरीकरण, जिसमें फीडर लेवल सोलराइज़ेशन (FLS) भी शामिल है।

पीएंम कुसुम योजना के तहत पात्र वित्तीय सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

<table>
<tr><th>घटक</th><th>उपलब्ध वित्तीय सहायता</th></tr>
<tr><td>घटक क</td><td>DISCOMs को पाँच वर्षों के लिए 40 पैसे/kWh या 6.60 लाख रुपये/MW/वर्ष (जो भी कम हो) की दर से खरीद आधारित प्रोत्सीहन (PBI) दिया जाता है। इस घटक के तहत कोई सीएफए नहीं है।</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>योजना/कार्यक्रम</th><th>योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन/सहायता</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>घटक ख

घटक ग (व्यक्तिगत पंप का सौर-ऊर्जीकरण)</td><td>• MNRE द्वारा तय की गई बेंचमार्क लागत का 30% सीएफए, या टेंडर में तय की गई प्रणाली की कीमतें–इनमें से जो भी कम हो, वह दिया जाता है।
• तथापि, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह जैसे उत्तर-पूर्वी राज्यों में, MNRE द्वारा तय की गई बेंचमार्क लागत का 50% CFA, या टेंडर में तय की गई प्रणाली की कीमतें–इनमें से जो भी कम हो, वह दिया जाता है।
• इसके अलावा, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कम से कम 30% वित्तीय सहायता देनी होगी। बाकी लागत लाभार्थी को खुद वहन करनी होगी।
• पीएम कुसुम योजना के घटक ख और घटक ग (व्यक्तिगत पंप सौरीकरण) को राज्य के 30% हिस्से के बिना भी लागू किया जा सकता है। केंद्रीय वित्तीय सहायता 30% ही रहेगी और बाकी 70% लागत किसान को खुद वहन करनी होगी।</td></tr>
<tr><td>घटक ग (फीडर स्तर पर सौरीकरण)</td><td>घटक ग (फीडर स्तर पर सौरीकरण)
कृषि फीडर सौरीकरण के लिए, 1.05 करोड़ रुपये प्रति MW (पूर्वोत्तर राज्य/पहाड़ी/द्वीपीय क्षेत्रों के लिए 1.75 करोड़ रुपये प्रति MW) का CFA दिया जाता है। इसमें भाग लेने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से वित्तीय सहायता की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। फीडर सौरीकरण को कैपेक्स (CAPEX) या रेस्को (RESCO) मोड में लागू किया जा सकता है।</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>घ) प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजुआ) के तहत नई सौर ऊर्जा योजना (आदिवासी और पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए)</td><td>
<table>
<tr><th>घटक</th><th>केंद्रीय भागीदारी (100%)</th></tr>
<tr><td>1 लाख जनजातीय और पीवीटीजी घरों के लिए 0.3 किलोवाट सौर ऑफग्रिड प्रणाली का प्रावधान</td><td>50,000 रु. प्रति परिवार या वास्तविक लागत के अनुसार</td></tr>
<tr><td>सौर स्ट्रीट लाइटिंग और पीवीटीजी क्षेत्रों के 1500 एमपीसी में प्रकाश</td><td>प्रति एमपीसी 1 लाख रु.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

योजना/कार्यक्रम	योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन/सहायता			
		व्यवस्था का प्रावधान (केवल पीएम जनमन घटक के अंतर्गत)		
		ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के माध्यम से 2000 सार्वजनिक संस्थानों का सौरीकरण (केवल डीए जेजीयूए घटक के अंतर्गत)	20 किलोवाट प्रति सार्वजनिक संस्थान की अधिकतम सौर पीवी क्षमता सहित 1 लाख रु. प्रति किलोवाट	

अनुलग्नक-II

दिनांक 25.03.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5328 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

राजस्थान को प्रदान किए गए प्रोत्साहनों/सहायता का विवरण

<table>
<tr><th>योजनाएँ / कार्यक्रम</th><th>राजस्थान को प्रदान की गई सहायता</th></tr>
<tr><td>(क) PM सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना – रूफटाप सौर पैनल लगाने और एक करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की योजना।</td><td>CFA का ज़िला-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है।.

<table>
<tr><th>ज़िले</th><th>जारी किया गया CFA (राशि करोड़ रु. में)</th></tr>
<tr><td>अजमेर</td><td>43.33</td></tr>
<tr><td>अलवर</td><td>26.04</td></tr>
<tr><td>अनूपगढ़</td><td>2.60</td></tr>
<tr><td>बालोतरा</td><td>3.93</td></tr>
<tr><td>बांसवाड़ा</td><td>6.90</td></tr>
<tr><td>बारां</td><td>5.69</td></tr>
<tr><td>बाड़मेर</td><td>7.53</td></tr>
<tr><td>ब्यावर</td><td>9.37</td></tr>
<tr><td>भरतपुर</td><td>8.44</td></tr>
<tr><td>भीलवाड़ा</td><td>35.69</td></tr>
<tr><td>बीकानेर</td><td>42.62</td></tr>
<tr><td>बूंदी</td><td>6.12</td></tr>
<tr><td>चित्तौड़गढ़</td><td>35.14</td></tr>
<tr><td>चुरू</td><td>27.39</td></tr>
<tr><td>दौसा</td><td>9.97</td></tr>
<tr><td>डीग</td><td>1.14</td></tr>
<tr><td>धौलपुर</td><td>5.51</td></tr>
<tr><td>डीडवाना कुचामन</td><td>15.65</td></tr>
<tr><td>दूदू</td><td>0.06</td></tr>
<tr><td>डूंगरपुर</td><td>8.10</td></tr>
<tr><td>गंगानगर</td><td>95.64</td></tr>
<tr><td>गंगापुरसिटी</td><td>1.15</td></tr>
<tr><td>हनुमानगढ़</td><td>61.34</td></tr>
<tr><td>जयपुर</td><td>217.81</td></tr>
<tr><td>जयपुर ग्रामीण</td><td>0.18</td></tr>
<tr><td>जैसलमेर</td><td>2.13</td></tr>
<tr><td>जालौर</td><td>9.14</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>योजनाएँ / कार्यक्रम</th><th>राजस्थान को प्रदान की गई सहायता</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>झालावाड़</td><td>8.09</td></tr>
<tr><td>झुंझुनूं</td><td>49.24</td></tr>
<tr><td>जोधपुर</td><td>59.44</td></tr>
<tr><td>जोधपुर ग्रामीण</td><td>0.03</td></tr>
<tr><td>करौली</td><td>3.61</td></tr>
<tr><td>केकड़ी</td><td>2.28</td></tr>
<tr><td>खैरथल-तिजारा</td><td>1.25</td></tr>
<tr><td>कोटा</td><td>36.45</td></tr>
<tr><td>कोटपूतली-बहरोड़</td><td>7.31</td></tr>
<tr><td>नागौर</td><td>13.78</td></tr>
<tr><td>नीम का थाना</td><td>1.65</td></tr>
<tr><td>पाली</td><td>20.27</td></tr>
<tr><td>फलौदी</td><td>1.55</td></tr>
<tr><td>प्रतापगढ़</td><td>8.01</td></tr>
<tr><td>राजसमंद</td><td>10.99</td></tr>
<tr><td>सलूंबर</td><td>1.21</td></tr>
<tr><td>सांचौर</td><td>1.07</td></tr>
<tr><td>सवाई माधोपुर</td><td>7.85</td></tr>
<tr><td>शाहपुरा</td><td>1.46</td></tr>
<tr><td>सीकर</td><td>63.58</td></tr>
<tr><td>सिरोही</td><td>9.81</td></tr>
<tr><td>टोंक</td><td>7.81</td></tr>
<tr><td>उदयपुर</td><td>54.87</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>1,060.19</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>(ख) सोलर पार्क योजना</td><td>दिनांक 28.02.2026 की स्थिति के अनुसार, “सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं का विकास” की योजना के अंतर्गत, राजस्थान में सौर पार्कों के लिए कुल 780.13 करोड़ रु. की CFA राशि जारी की गई है। जिले-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है।
<table>
<tr><th>जिला</th><th>रूपए करोड़ में</th></tr>
<tr><td>फलौदी</td><td>424.84</td></tr>
<tr><td>फलौदी एवं जैसलमेर*</td><td>138.25</td></tr>
<tr><td>जैसलमेर</td><td>0.25</td></tr>
<tr><td>बीकानेर</td><td>216.79</td></tr>
</table>
*पार्क और पारेषण अवसंरचना दो ज़िलों में फैले हुए हैं।</td></tr>
</table>

योजनाएँ / कार्यक्रम	राजस्थान को प्रदान की गई सहायता
(ग) PM-KUSUM योजना मार्च, 2019 में सरकार द्वारा शुरू की गई थी, ताकि स्टैंडअलोन सोलर पंप लगाने, मौजूदा ग्रिड-कनेक्टेड कृषि पंपों को सोलर ऊर्जा से जोड़ने और किसानों की ज़मीन पर सोलर पावर प्लांट लगाने की सुविधा प्रदान की जा सके।	दिनांक 19.03.2026 की स्थिति के अनुसार, पीएम कुसुम योजना के तहत राजस्थान राज्य को 1,242 करोड़ रु. की केंद्रीय वित्तीय सहायता जारी की गई है। पीएम कुसुम एक मांग-संचालित योजना है, और क्षमताओं का आवंटन राज्य द्वारा रखी गई मांग और हासिल किए गए लक्ष्यों (milestones) के आधार पर किया जाता है। लाभार्थियों के चयन और योजना के कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (SIA) की होती है।
